न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जयपुर

अपील संख्या 94/2022, जिला सीकर

1. संजय पुत्र सुल्तान सिंह जाति बलाई निवासी ग्राम बनाई तहसील लक्ष्मणगढ जिला सीकर।

—अपीलान्ट

बनाम

1. नेमीचन्द पुत्र पूरण सिह जाति जाट निवासी ग्राम बनाई तहसील लक्ष्मणगढ जिला सीकर।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार लक्ष्मणगढ जिला सीकर राज0।

—रेस्पोंडेन्ट्स

अपील अन्तर्गत धारा 75 भू—राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्ध निर्णय दिनांक 23.06.2022 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लक्ष्मणगढ जिला सीकर।

उपस्थित—

1. श्री बंशीधर जाट वकील अपीलान्ट
2. श्री हरलाल सिंह वकील रेस्पोडेन्ट नं. 1 की ओर से
3. श्री चन्दशेखर बेनीवाल, राजकीय अधिवक्ता

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जयपुर

निर्णय

दिनांक — 14.12.2022

1. यह अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत उपखण्ड अधिकारी लक्ष्मणगढ जिला सीकर के निर्णय दिनांक 23.06.2022 के खिलाफ प्रस्तुत हुई है।

2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य निम्न प्रकार है कि वाके ग्राम बादूसर तहसील लक्ष्मणगढ जिला सीकर में स्थित खसरा नं. 666, 667, 668, 669, 670/1 के खातेदार व काश्तकार नेमीचन्द पुत्र पूरण सिह जाति जाट ने अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लक्ष्मणगढ जिला सीकर के समक्ष प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 136 पेश कर ग्राम बनाई के खसरा नं. 65 , खसरा नं. 71 एवं खसरा नं. 73 में से उक्त खसरान् मे आने वाले रास्ते के रकबे को राजस्व रिकार्ड में अंकन हेतु निवेदन किया जिस पर उपखण्ड अधिकारी लक्ष्मणगढ ने तहसीलदार रिपोर्ट के आधार पर अपने निर्णय दिनांक 23.06.2022 को उक्त खसरा नम्बरों में रास्ता को राजस्व रिकार्ड में अंकन करने के आदेश दिये।

3. उपखण्ड अधिकारी लक्ष्मणगढ जिला सीकर के उक्त निर्णय दिनांक 23.06.2022 से व्यथित होकर अपीलान्ट संजय पुत्र सुल्तान सिंह जाति द्वारा यह अपील प्रस्तुत कर अपील स्वीकार करने एवं अपीलाधीन आदेश उपखण्ड अधिकारी लक्ष्मणगढ दिनांक 23.06.2022 निरस्त किये जाने की प्रार्थना की।

4. अपील प्रस्तुत होने पर रेस्पोंडेन्ट्स की तलबी की गई । अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया । उभयपक्ष के योग्य अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई।

5. अपीलान्ट के योग्य अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील मीमो में अंकित तथ्यों को दौहराते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि प्रार्थी के खसरा नं. 73 वाके ग्राम

Scanned with OKEN Scanner

बनाई में से आवागमन का कोई रास्ता कभी भी मौके पर प्रचलन में नहीं रहा है ना ही जमाबंदी में दर्ज है। रेस्पोडेण्ट के खेत खसरा नं. 666, 667, 668, 669, 670 वाके ग्राम बादूसर में स्थित है। खसरा नं. 670 जिसके नये खसरा नं. 670/1 व 670/2 है जिसमें मौके पर रास्ता कायम है और नक्शे में डॉटेड लाईन से दर्शित है एवं जमाबंदी में भी गैरमुमकिन रास्ते के रूप में भी दर्ज है। रेस्पोडेण्ट गलत रूप से जमाबंदी में प्रार्थी के खेत में से रास्ता दर्ज करवाना चाहता है जो धारा 136 की परिधि में नहीं आता है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मौके की जॉच रिपोर्ट बाबत् तहसीलदार को आदेश दिये गये परन्तु जॉच रिपोर्ट तहसीलदार द्वारा तैयार नही की जाकर पटवारी बगडी द्वारा एकपक्षीय तैयार कर ली गई। अप्रार्थी के खसरा नं. 670/2 मे से पूर्व से ही रास्ता कायम है। उक्त रास्ते के अलावा अन्य रास्ते की कोई आवश्यकता नहीं है फिर भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा गलत तरीके से पटवारी हल्का की रिपोर्ट के आधार पर ही अपीलाधीन आदेश दिनांक 23.06.2022 पारित करने में कानूनी गलती की है जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विरूद्ध एवं विधिसम्यक नहीं होने से खारिज किये जाने योग्य है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश उपखण्ड अधिकारी लक्ष्मणगढ दिनांक 23.06.2022 निरस्त किया जावे।

6. रेस्पोंडेन्ट्स के योग्य अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील का विरोध करते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि भूमि खसरा नं. 71 व 73 से होकर एक पुराना प्रचलित रास्ता कदीम से कायम है जिस पर न केवल प्रार्थीगण अपने खसरा नम्बरों में आते जाते हैं बल्कि अन्य खातेदार भी वर्षों से आवागमन हेतु उपयोग व उपभोग करते आ रहे हैं एवं मौके पर रास्ता आज भी यथावत कायम है। सेटलमेंट के दौरान उक्त खसरा नम्बरों में अवस्थित प्रचलित रास्ते को विलोपित कर दिया गया था। पटवारी हल्का रिपोर्ट से भी यह स्पष्ट होता है कि मौके पर रास्ता चालू है। प्रार्थी द्वारा विधिक प्रावधानों के तहत् ही रास्ते को अंकन करवाने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया था जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट्स को समुचित रूप से सुनवाई का अवसर देकर व मौके की जॉच पश्चात् ही अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। ऐसी स्थिति में अपीलाधीन आदेश उपखण्ड अधिकारी लक्ष्मणगढ जिला सीकर उचित एवं विधिसम्यक है, जिसे यथावत रखते हुये अपील अपीलान्ट खारिज की जावे।

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

7. राजकीय अधिवक्ता ने भी बहस के दौरान अपील का विरोध करते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि तहसीलदार ने अपनी रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से अंकित किया है कि प्रस्तावित रास्ता राजस्व नक्शे में डॉटेड रास्ता है एवं मौके पर प्रचलित है। अतः ऐसी स्थिति में अपीलाधीन आदेश उपखण्ड अधिकारी लक्ष्मणगढ जिला सीकर उचित एवं विधिसम्यक है, जिसे यथावत रखते हुये अपील अपीलान्ट खारिज की जावे।

8. हमने प्रकरण के अभिलेख को देखा एवं प्रकरण के तथ्यों पर विचार किया। उभयपक्ष के योग्य अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया। पत्रावली के अवलोकन से जाहिर होता है विवादित रास्ता तहसीलदार व पटवारी हल्का की रिपोर्ट के आधार पर पूर्व से ही डॉटेड रास्ते के रूप में राजस्व रिकार्ड में दर्ज रहा है एवं मौके पर प्रचलित है जिससे माना जा सकता है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा राजस्व रिकार्ड में पूर्व से डॉटेड रास्ते के रूप में दर्ज एवं मौके पर प्रचलित रास्ते को ही राजस्व रिकार्ड में दर्ज करने के निर्देश दिए गए हैं इसमें किसी की खातेदारी की भूमि कम नहीं की गई है केवल राजस्व रिकार्ड में रास्ते का अंकन किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उभयपक्षों को समुचित रूप से सुनवाई का अवसर देकर ही अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। ऐसी स्थिति में हम अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय में हम हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं समझते हैं।

Scanned with OKEN Scanner

अतः आदेश है कि: अपील अपीलांट निरस्त की जाती है। तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लक्ष्मणगढ जिला सीकर का निर्णय दिनांक 23.06.2022 यथावत रखा जाता है।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ. गिरीश पाराशर)
अति. संभागीय आयुक्त,
जयपुर